क्रमांक – 33

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

कार्यमंत्रणा समिति का नवम् प्रतिवेदन

गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के महामारी के रूप में विश्व में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एतिहातन रूप से बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2020 से 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाऊन किया गया है। अतः दिनांक 26 मार्च, 2020 को प्रश्नकाल नहीं होगा, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–2021 की अनुदान मांगों की मुखबंद (गिलोटिन) के द्वारा पारित किया जाय, एवं तत्सबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण की कार्यवाही आज दिनांक 26 मार्च, 2020 को ही की जाये तथा शासन की ओर से बुधवार दिनांक 25 मार्च, 2020 को प्राप्त 13 विघयेकों को उनके महत्व एवं उपादेयता को देखते हुए नियम शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित किया जाकर विचार एवं पारण हेतु लिया जाये।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.